रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 1992/माघ 29, 1913
No. 74] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 1992/MAGHA 29, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1992

सा.का.नि 103(अ):-भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 18-10-1989 को भारत सरकार जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 906 (ङ) में प्रकाशित पत्तन के पायलटेज और अन्य सेवाओं के लिए शुल्क की वसूली को विनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:--

आदेश

(क) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:--(1) यह आदेश तूत्तूकुड़ि पत्तन पायलटेज और अन्य सेवायें (शुल्क) आदेश, 1991 कहा जाएगा।

(2) यह इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

(ख) परिभाषायें :-(1) "पत्तन" से तूत्तूकुड़ि पत्तन का क्षेत्र "क" अभिप्रेत है।

(2) "तटीय जहाज" से वह जहाज या स्टीमर अभिप्रेत है, जो यात्रियों अथवा माल को भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान अथवा स्थान तक समुद्र के रास्ते लाने, ले जाने के काम में लगा हो।

(3) "विदेशी जहाज" से उस जहाज अथवा स्टीमर अभिप्रेत है, जो भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान के बीच तथा भारत से बाहर के पत्तनों अथवा स्थानों के बीच व्यापार कार्य में लगा हो।

(ग) पाटालटेज मूरिंग अथवा अनमूरिंग आदि के लिए शुल्क :-(1) बंदरगाह के अंदर या बाहर जहाजों के पायलटिंग के लिए लेवी किए जाने वाला शुल्क, जिसमें पत्तन के पायलटों की सेवायें और कर्मीदल के साथ टगों और लांचों की सेवायें शामिल हैं, नीचे की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर होगा।

अनुसूची

जहाजों का वर्गीकरण	यूनिट	देय शुल्क	न्यूनतम प्रभार
(1) 3,000 जीआरटी तक	प्रति जी आर टी	रु. 4.50	रु. 9,000 प्रति जहाज
(2) 3001 से 10000 जी आर टी तक	प्रति जी आर टी	रु. 4.50	--
(3) 1,0001 से 15000	प्रति जी आर टी	रु. 4.80	--
(4) 15001 जी आर टी और उससे अधिक	प्रति जी आर टी	रु. 4.80	--

(2) (1) विदेशी जहाजों से पायलटेज शुल्क उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित दरों पर वसूल किया जायेगा।

(2) तटीय जहाजों से ऊपर निर्धारित दरों के 70 प्रतिशत तक पायलटेज शुल्क वसूल किया जायेगा।

(3) "शिपिंग ट्राम्पर्स" के लिए देय न्यूनतम पायलटेज प्रभार रु. 1400/- और विदेशी जहाज और तटीय जहाजों के लिए रु. 1,000/- होगा

(4) बंदरगाह के बाहर जहाज के मूरिंग, जब यह वहां प्रवेश नहीं करता या वहां से नहीं जाता, के लिए उपरोक्त अनुसूची के तहत देय के 25 प्रतिशत के बराबर शुल्क वसूल किया जायेगा, जो न्यूनतम रु. 3,200/- होगा।

(5) जिन पायलटों की सेवायें मांगी गयी हैं, किन्तु जिनका उपयोग नहीं किया गया है, इसके लिए निम्नलिखित शुल्क वसूल किया जायेगा।

	देय शुल्क	
	विदेशी जहाज	तटीय जहाज
पायलट के जहाज पर चढ़ने के बाद, जिन पायलटों की सेवायें मांगी गयी है, किन्तु जिनका उपयोग नहीं किया गया है।	रु. 850/-	रु. 570/-

टिप्पणी:-- (1) ऊपर निर्दिष्ट दरों पर न सिर्फ जहाजों के इनवार्ड और आउटवार्ड पायलटेज के लिए मांगपत्र रद्द करने के मामलों में शुल्क वसूल किया जाएगा, बल्कि हैवी लिफ्टों की स्थिति या किसी कारण से जहाजों के बर्थ से हटाने या रीमूरिंग या बर्थ में जहाज को मोड़ने या उसी बर्थ में जहाज को फिर से मूरिंग के लिए मांगपत्र रद्द किया जाता है।

(2) इन मामलों में उपरोक्त शुल्कों की लेवी नहीं होगी।

(क) पायलट की नियुक्ति/जहाज पर चढ़ने के समय से कम से कम एक घंटा पहले प्राप्त/रद्द करने की सूचना और

(ख) जहाज के दोष रहित होने पर अपवादस्वरूप परिस्थितियों में रद्द करना।

(6) विशेष शुल्क (डिटेंशन शुल्क):--

पहले घंटे या एक घंटे के भाग के लिए तटीय जहाज से रु. 570/- और विदेशी जहाज से रु. 850/- का शुल्क वसूल किया जाएगा। क्योंकि किसी पायलट को जहाज पर चढ़ने के बाद टूटिकोरिन पोर्ट पर 30 मिनिट के बाद जहाज पर रोके रखा जाता है। बाद के ऐसे प्रत्येक घंटे या उसके अंश के लिए डिटेंशन शुल्क वसूल किया जायेगा।

(7) पायलट के कैरेज पर रहने के लिए शुल्क:--

अनिवार्य कारणों से पायलट को लिए हुए जहाज को पत्तन सीमा से बाहर ले जाने की दशा में मास्टर को अगले नजदीक के पत्तन पर पायलट को छोड़ना पड़ेगा और मास्टर मालिक या उसका प्रतिनिधि उसकी वापसी और उससे जुड़ी सभी औपचारिकताओं के लिए जिम्मेदार होगा और उसे भोजन, आवासीय और अन्य उचित खर्चा का भुगतान करना होगा तथा इस प्रकार लिए गए पायलट को वापस भेजना होगा। इसके अलावा पायलट के पत्तन पर वापस आने के बाद रिपोर्ट करने तक मास्टर को प्रतिघंटा रु. 100/- की दर से मुआवजा देना होगा।

[सं.-पीआर/14012/27/91-पीजी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th February, 1992

G.S.R. 103 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and in supersession of the Port of Tuticorin Pilotage and other services (fees) order 1989 published in the notification of the Government of India, Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No. 906 (E), dated 18-10-1989, the Central Government hereby makes the following order for regulating the levy of fees for Pilotage and other services in the Port of Tuticorin namely.

ORDER

(A) Short title and commencement :—(i) This order may be called the Port of Tuticorin Pilotage and other services (Fees) order 1991.

(ii) It shall come into force from the date of publication.

(B) Definitions :—(i) 'Port' means Zone—A of the Port of Tuticorin.

(ii) 'Coasting Vessel' means a ship or a steamer which is engaged in the carriage by sea of passengers or goods from any port or place in India to any other port or place in India.

(iii) 'Foreign Vessel' means a ship or steamer employed in trading between any port or place in India and other port or place or between ports or places outside India.

(C) Fees for Pilotage, Mooring or Unmooring etc. :—(1) The fees leviable for piloting vessels in and out of the Harbour which includes services of the Port's Pilots and the services of the tugs and launches with the crew shall be at the rates specified as scheduled below :

SCHEDULE

Classification of the Vessels	Unit	Charges payable	Minimum charges
(i) Upto 3000 GRT	Per GRT	Rs. 4.50	Rs. 9000.00 per ship
(ii) 3001 to 10000 GRT	,,	4.50	
(iii) 10001 to 15000 GRT	,,	4.80	
(iv) 15001 GRT and above	,,	4.80	

(2) (i) The foreign vessel shall be charged pilotage charges at the rates specified in the schedule above.

(ii) The coasting vessel shall be charged pilotage charges at 70 per cent of the rates specified above.

(3) For Fishing Trawlers, the minimum pilotage charges payable shall be Rs. 1400/- for foreign vessel and Rs. 1000/- for coasting vessels.

(4) For mooring a vessel outside the harbour, when it does not enter or leave it, a fee equal to 25% of the charges payable under the above schedule shall be levied subject to minimum of Rs. 3200/-.

(5) In the case of pilots whose services have been requisitioned but not utilised, the following charges shall be levied namely :

	Charges payable	
	Foreign Vessel	Coasting Vessel
Pilots whose services have been requisitioned but not utilised after the pilot has boarded a vessel	Rs. 850/-	Rs. 570/-

Note—(i) The charges at the rates specified above shall be levied not only in cases of cancellation of requisitions for inward and outward pilotage of vessels but also for the cancellation of requisitions for shifting of berth of vessels and remooring or for turning a vessel around in her berth or for remooring a vessel in the same berth due to position of heavy lifts or for any other reason.

(ii) The above charges are not leviable in case of :—

(a) Cancellations received at least one hour before the pilot's appointed boarding time of the vessel and

(b) Cancellations caused under exceptional circumstances for reason that could not be attributed to the vessel's faults.

(6) SPECIAL CHARGES (DETENTION FEES)—A fee of Rs. 570/- in respect of coasting vessel and Rs. 850/- in respect of foreign vessel shall be levied for first hour or part of an hour that a pilot is kept waiting on board any vessel at the port of Tuticorin beyond 30 minutes after boarding such vessel. The detention fee for every subsequent hour or part thereof shall be levied at the rate of Rs. 190/- in respect of coasting vessel and Rs. 29/- in respect of foreign vessel.

(7) FEES FOR ON CARRIAGE OF PILOT—In the event of a vessel carrying a pilot outside the port limits for unavoidable reasons the Master shall be bound to leave the pilot at the next nearest port and the Master, owner or his representative shall be responsible for the repatriation and all connected formalities thereof and be also liable to pay all expenses incurred in the matter of boarding, lodging, other reasonable expenses incurred in the repatriation of the pilot thus overcarried. In addition, compensation at the rate of Rs. 100/- per hour shall be payable by the Master of the vessel till the pilot reports back to duty at the port.

[F. No. PR—14012/27/91—PG]

ASHOK JOSHI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1992

तूतुकुडि पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयानों पर पत्तन शुल्क लगाना

सा.का.नि. 104(अ):–भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 (1908 का 15) की धारा 34 के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के दिनांक 12-10-1984 के पत्र संख्या: सा.का.नि. 717(ङ) और सा.का.नि. सं. 1082 (ङ) दिनांक 17-11-1988 में भारत सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों के संबंध में या किए जाने वाले कार्यों को छोड़ दिए जाने के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिन समाप्त होने के अगले दिन से, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम (1) में वर्णित किया गया है, तूतुकुडि पत्तन के क्षेत्र "क" और क्षेत्र "ख" में प्रवेश करने वाले प्रत्येक जलयान पर उपर्युक्त अनुसूची के कालम (2) में समवर्ती प्रविष्टि में उल्लिखित दरों पर और कालम (3) में समवर्ती प्रविष्टि में उल्लिखित अन्तराल पर पत्तन शुल्क वसूल किया जाएगा।

अनुसूची—पत्तन शुल्क

प्रभार योग्य जलयान (15 टन और उससे अधिक के समुद्र में जाने वाले जलयान)	प्रति एन आर टी पत्तन शुल्क की दर	उसी जलयान के संबंध में अदायगी की प्रायिकता
1	2	3
क. 1000 टन या उससे कम अवतारण करने वाले जल यान		
1. विदेशी जलयान :		
(क) जहाज/स्टीमर	3.80	पत्तन में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए शुल्क देय है।
(ख) प्रवाही जलयान	1.50	
2. तटवर्ती जहाज :		
(क) जहाज/स्टीमर	2.60	साठ दिनों में एक बार शुल्क अदा करना है बशर्ते कि एक बार दिया गया शुल्क उपर्युक्त साठ दिनों की अवधि के दौरान पत्तन में केवल तीन बार का प्रवेश (उस प्रवेश सहित जिस की अदायगी की गयी थी) वैसा होगा।

(1)	(2)	(3)
(ख) प्रवाही जलयान	0.50	पत्तन पर शुल्क अदा करने से पुनः शुल्क अदा करने की जिम्मेदारी से साठ दिनों की अवधि के लिए जहाज को छूट मिल जायेगी।
रु. 1000 टन से अधिक अवधारण करने वाले जलयान		
1. विदेशी जलयान जहाजी/स्टीमर	5.40	क. 1 में दिये गये अनुसार
2. तटवर्ती/जलयान जहाज/स्टीमर	3.30	क. 2 में दिये गये अनुसार

अपवाद :

(क) यात्रियों के स्थान पर स्थिरक भार लेकर पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयान से पत्तन शुल्क के तीन-चौथाई पर पत्तन शुल्क वसूल किया जायेगा।

(ख) भुगतान न करने वाले या सामान या यात्रियों को लाने वाले (मरम्मत के प्रयोजन के लिए) पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयानों से पत्तन शुल्क का आधा वसूल किया जायेगा।

टिप्पणी : (1) पत्तन "ख" में पत्तन शुल्क अदा करने के बाद सर्विस के लिए क्षेत्र "क" में प्रवेश करने वाले जलयान की क्षेत्र "ख" में उनके प्रवेश करने के संबंध में पहले ही अदा कर दिए गए शुल्क की सीमा तक क्षेत्र "क" का पत्तन शुल्क अदा करने की जिम्मेदारी से छूट दे दी जाएगी।

क्षेत्र "क" से पत्तन शुल्क अदा करने के बाद क्षेत्र "ख" में प्रवेश करने वाले जलयानों पर क्षेत्र "ख" में उनके प्रवेश करने पर किसी प्रकार का पत्तन शुल्क अदा करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

(2) निवल रजिस्टर्ड टनेज सामान और यात्रियों के लिए सभी उपलब्ध स्थान की क्यूबिक क्षमता होगी। इसी टनेज पर सभी जहाजों से पत्तन शुल्क वसूल किया जाता है तटवर्ती स्टीमरों के संबंध में पत्तन शुल्क के निर्धारण के लिए गोदी सामान छोड़ दिया जाएगा, हालांकि निर्धारण के प्रयोजन के लिए इसे शामिल किया जाएगा, ऐसा तब किया जाएगा जब विदेशी स्टीमरों के संबंध में सामान गोदी पर ले जाया गया हो।

(3) आधे टन का भाग और उससे अधिक, एक टन गिना जाएगा और आधे से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(4) तटवर्ती जलयान के संबंध में छूट की अवधि की समाप्ति की गणना करते समय अदायगी के दिन की गणना साठ दिनों में कर ली जाए और प्रवेश करने के दिन की गणना अदायगी दिन के रूप में की जाए, चाहे शुल्क की अदायगी प्रवेश दिन को या उसके बाद की गयी हो और जिस तारीख को शुल्कों की देनदारी आधारित है, वह तारीख यह है जिस पर जलयान भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाता है और न कि वह दिन जिसको वह पत्तन या सीमा-शुल्क कार्यालय में प्रवेश करता है।

(5) पत्तन शुल्क निम्नलिखित पर नहीं लगाया जाएगा :

(i) 15 टन से कम जलयान

(ii) अन्य भारतीयों पत्तनों के जलयान

(6) पत्तन शुल्कों को लगाने के प्रयोजन के लिए जलयान को एक न माना जाए और तटवर्ती जहाज या स्टीमर और विदेशी जहाज या स्टीमर दोनों की एक यात्रा मानी जाए, लेकिन ऐसी यात्राओं के संबंध में पत्तन शुल्क जलयानों पर या तो वे तटवर्ती या विदेशी जहाज या स्टीमर के रूप में है, उच्चतर दर पर लगायी जाएगी।

(7) अपने निजी उपयोग के केवल रसद, पानी, ईंधन, कोयला या तरल ईंधन लेने के लिए पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयानों से आधी दरों पर पत्तन शुल्क वसूल किया जाएगा।

(8) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 46 के अधीन तीन/चौथाई पत्तन शुल्क अदा करने के बाद जो तटवर्ती जलयान सामान की यात्री या, स्थिरक भार लेकर छूट की अवधि के अंदर पत्तन में फिर से प्रवेश करता है तो उसका अन्तर वसूल किया जाएगा अर्थात् पिछली बार रियायत किया गया एक चौथाई पत्तन शुल्क।

(9) भारतीय अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 47 के अधीन आधा पत्तन शुल्क अदा करने के बाद जो तटवर्ती जलयान, सामान या यात्री या स्थिरक भार लेकर छूट की अवधि के अंदर पत्तन में फिर से प्रवेश करता है तो उससे अन्तर वसूल किया जाएगा अर्थात् पिछली बार रियायत किया गया आधा शुल्क।

(10) क्षेत्र "क" या क्षेत्र "ख" में जलयान की स्थिति के बारे में किसी प्रकार का विवाद होने पर उपसंरक्षक या उसके किसी प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

[फा. स. पीआर/14012/27/91-पी.जी.]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

IMPOSITION OF PORT DUES ON THE VESSELS ENTERING IN PORT OF TUTICORIN

New Delhi, the 18th February 1992

G.S.R. 104 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 33 read with Section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport communications G.S.R.. No. 717 (E) dated 12-10-1984 and G.S.R. No. 1082 (E) dated 17-11-1988 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that with effect from the day following the expiration of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, Port Dues shall be levied on each of the vessels entering Zone A and Zone B of the Port of Tuticorin as described in Column (1) of the "Scheduled" hereto annexed at the rates specified in the corresponding entry in Column (2) and at the intervals specified in the corresponding entry in Column (3) of the said schedule.

SCHEDULE—PORT DUES

Vessels chargeable (Sea-going vessels of 15 tonnes and upwards)	Rate of Port Dues per NRT in Rupees	Frequency of payment in respect of the same vessel
(1)	(2)	(3)
A. VESSELS HANDLING 1000 TONNES OR LESS :		
1. Foreign Vessels		
(a) Ships/Steamers	3.80	The due is payable on each entry into the Port.
(b) Sailing Vessels	1.50	
2. Coasting Vessels		
(a) Ships/Steamers	2.60	The due is payable once in sixty days provided the payment of the dues once made shall be valid only for three entries into the Port (including the entry on which the payment was made) during the said period of sixty days.
(b) Sailing Vessels	0.50	The payment of the due at the Port will exempt the vessel for a period of 60 days from the liability to pay the due again.
(B) Vessels handling more than 1000 tonnes		
1. Foreign Vessels : Ships/Steamers	5.40	As in A. 1.
2. Coasting Vessels : Ships/Steamers	3.30	As in A.2.(a)

EXCEPTION

(a) Vessel entering the Port in ballast and not carrying passengers shall be charged with the Port Dues at three-fourth of the Port Dues.

(b) Vessels entering the Port but not discharging or taking in any cargo or passenger (for purpose of repair) shall be charged with half of the Port Dues.

TERMS AND CONDITIONS

NOTES :—

(1) Vessels entering the Zone A for services after having paid Port Dues at Zone B shall be exempted from the liability to pay the Port Dues of Zone A to the extent of the Port Dues already paid in respect of their entry in Zone B.

Vessels entering Zone B after having paid Port Dues at Zone A shall not be liable for payment of any Port Dues on their entry in Zone B.

(2) Net Registered Tonnage is the cubic capacity of all available space for cargo and passengers. It is on this tonnage all ships are charged Port Dues. Deck cargo will be exempted from assessment of Port Dues in respect of Coasting Steamers, while it will be included for purposes of assessment when and if cargo is carried on deck in respect of foreign steamers.

(3) Fractions of half a tonne and above shall be counted as one tonne and less than half a tonne ignored.

(4) In calculating the expiration of the period of exemption in reaspect of Coasting Vessels, the day of payment should be reckoned as one of the sixty days, and the day of entry should be reckoned as the day of payment, whether the dues are actually paid on the day of entry of subsequently, and the date on which the liability to dues is based is that on which vessel passes the geographical limits of a Port and not the day she enters at the Port or Customs Office.

(5) Port Dues shall not be levied on:

(i) Vessels of less than 15 tonnes;

(ii) Vessels belonging to other Indian Ports.

(6) For the purpose of the levy of port dues, a vessel shall not be deemed during one and the same voyage to be both a coasting ship or steamer and a foreign ship or steamer, but port dues shall, in respect of such voyage, be leviable on such vessel either as a coasting or a foreign ship or steamer, whichever rate is higher.

(7) Vessels entering the Port and taking in only provisions, water, bunker, coal or liquid fuel for their own consumption shall be charged port dues at half rates.

(8) A coasting vessel which after paying three-fourths Port dues under section 46 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) re-enters the port within the period of exemption with cargo or passengers or in ballast shall be charged the difference, viz., one-fourth port dues previously conceded.

(9) Coasting vessels which, after paying half port dues under section 47 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) re-enters the port within the period of exemption with cargo or passengers or in ballast shall be charged the difference, viz, the half previously conceded.

(10) In the event of any dispute regarding the position of a vessel either in Zone 'A' or in Zone 'B', the decision of the Deputy Conservator or his authorised Officers shall be final.

[File No. PR—14012/27/91—PG]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

सा.का.नि. 105(अ):—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 33 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन की अवधि समाप्त होने से अगले दिन से उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-1 छ में टूटीकोरिन पत्तन से संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

पत्तन का नाम	आदेय जहाज	प्रति टन पत्तन का भाड़ा	उसी जहाज पर सामान्यता कितने समय बाद आदेयम
1	2	3	4
	-अ-		
टूटीकोरिन	15 टन तथा उससे अधिक के समुद्रगामी जहाज		
	(क) विदेशी जहाज	दस रु. से अधिक नहीं	पत्तन के भीतर प्रत्येक बार प्रवेश पर प्रभार देय है। यह प्रभार 60 दिन में एक बार देय होता है, बशर्ते कि उक्त 60 दिन की अवधि के दौरान एक बार दिया गया भार पत्तन में केवल तीन बार प्रवेशों के लिए वैध होता है (उस प्रवेश सहित जिसमें भुगतान किया गया था) पत्तन पर प्रभार के भुगतान से जहाज को 60 दिन की अवधि के लिए प्रभार की देयता से छूट मिलेगी।
	(ख) कोस्टिंग वैसल्ज	दस रु. से अधिक नहीं	
	(1) जहाज/स्टीमर		
	(2) सेलिंग वैसल्ज	दस रु. से अधिक नहीं	

[फा. सं. पी आर- 14012/27/91-पी जी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

G.S.R. 105 (E):—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 33 of the Indian Port Act, 1908 (15 of 1908) the Central Government hereby makes, with effect from the day following the expiry of sixty days from the date of publication of the notification in the official gazette, the following alterations in the first schedule to the said act, namely:—

In part I of first schedule to the said Act for entries relating to the port of Tuticorin, the following entries shall be substituted, namely :—

Name of Port	vessels chargeable	Rate of port dues per tonne	Due how often chargeable in respect of the same vessel.
Tuticorin	Sea going vessels of fifteen tons and upwards		
	(a) Foreign vessels	Not exceeding rupees ten.	The dues are payable on each entry within the port.
	(b) Coasting vessels		
	(1) Ships/Steamers	Not exceeding rupees ten	The due is payable once in sixty days provided the payment of the dues once made shall be valid only for three entries into part (including the entry on which the payment was made) during the said period of sixty days.
	(2) Sailing vessels	Not exceeding rupees ten.	The payment of the due at the port will exempt the vessel for a period of 60 days from the liability to pay the due again.

[File No. PR-14012/27/91=PG]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992